nature of
arties or
leaders
where

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1998

In the Court of : संजना सरल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा जिला सागर
Case No. 352/2022 Complaint or report made on-........ 17/10/22
Name and address of the complainant....शासन द्वारा

Name,parentage, caste and address of accused

1— रैनका बाई W/o जीवन लोधी उम्र 48 वर्ष नि. हरवन P.S. धामोनी

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

1— आप दिनांक—21/7/22 को समय 3:15 बजे स्थान हरवन .... में अवैध रूप से 05 लीटर शराब कीमत लगभग 500/- रूपये को अवैध रखे पाये गये।

आपका उक्त कृत्य धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा—34(1) के अधीन दण्डनीय है व इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्राधिकारिता में है, क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या विचारण चाहते हैं ?

संजना सरल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
बंडा जिला सागर

The plea of accused and his examination (if any)

आरोपी का अभिवाक जुर्म स्वीकार है।
रैनका बाई

संजना सरल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
बंडा जिला सागर

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offeance has been committed.

Excise Department

केस नं.—352/22

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक—17/10/22 को घोषित)

1— आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे **मध्यप्रदेश** आबकारी अधिनियम 1915 की धारा—34(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा—34(1) के अंतर्गत अपराध में **न्यायालय उठने तक का कारावास** एवं एक हजार/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित **किया जाता** है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड जमा न करने के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 7 का साधारण कारावास भुगताया जाये।

2— प्रकरण में जप्तशुदा 0.5 लीटर कच्ची शराब शराब नियमानुसार विधिवत् नष्ट की जावे।

निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित कर दिया खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

17/10/2022

संजना सरल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
बंडा जिला सागर

मेरे बोलने पर टंकित गया।

17/10/2022

संजना सरल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
बंडा जिला सागर